5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

288

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

क्रमांक/ /निग./ /2015-16,

निग॰ 3288-I/16

1. रामचरन तनय स्व. रामलाल अहिरवार

2. [illegible]राम पुत्री स्व. रामलाल अहिरवार

3. नरवदिया पुत्री स्व. रामलाल अहिरवार जाति

निवासी ग्राम महेबा तह. व जिला- छतरपुर म. प्र. । ---------आवेदकगण

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन । -----------अनावेदक

निगरानीअन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959 के तहत् ।

निगरानी विरूद्व निर्णय योग्य अधीनस्थ न्या. श्री मान् नायबतहसीलदार मण्डल महेबा तह0 छतरपुर के रा. प्र. क्र. 8/अ6अ/2012-13, में पारित आ. दि. 8-8-2016, से दुखी होकर।

महोदय,

आवेदकगण श्री मान् के समक्ष सादर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों परनिगरानी प्रस्तुत करते है:-

1:- यह कि उक्त निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगणो द्वारा मौजा महेबा तह. छतरपुर की भूमि ख. नं. 2644,2646,2647/1, एकत्र रकवा 1.645 है. भूमि आवेदकगणो के स्व. पिता रामलाल तनय कन्हैया अहिरवार को उक्त भूमि सन्1971-72, मे उक्त भूमि का पट्टा भूमि स्वामी स्वत्व पर प्राप्त हुआ जो बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के गैरहकदार एवंशासकीय पट्टेदार तत्कालीनपटवारीद्वारा लेख कर दिया गया था जो नामांतरण पंजी क्र. 22 मे पा. आ. दि. 11-9-85, को अधीनस्थ न्यायालय श्री मान् तहसीलदारमहोदय द्वारा सामूहिक रूप से अन्य काश्तकारोके साथ भूमि स्वामी घोषित किया गया जिसका अमल खसरा वर्ष 1987-88 मे दर्ज हो चुका था । तथा शासन द्वारा आयुक्त भू-अभिलेख आदेश क्र. 537/11/भू. प्र. /भू. सं. /2008,से आ. दि. 1-2-2008 मे आदेश पारित किया गया था कि 1 जनवरी 1999 के बादयुक्त किये

//2//

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3288 -एक/2016 जिला-छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा-वषक आदि के हस्ताक्षर
27-9-2016	यह निगरानी नायब तहसीलदार मण्डल महेबा तहसील-छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 8/अ-6अ/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2016 से परिवेदित होकर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है. 2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है ग्राम महेबा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2644, 2646, 2647/1 कुल रकबा 1.845 हेक्टेयर को ग्राम पटवारी द्वारा विक्रय से प्रतिबन्धित की टीप अकिंत कर दी. जिसे सुधारें जाने हेतु संहिता की धारा -115-116 एवं 32 केअन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया – जिसे तहसीदार द्वारा निरस्त कर दिया गया –उपरोक्त आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है. 3. आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में पुनरीक्षण आवेदन पत्र में वर्णित आधारों पर जोर देते हूए बताया कि प्रकरण में विवादित भूमि का पटटा आवेदक के पिता को भूमिस्वामी स्वत्व पर सन 1971-72 में हुआ था. जिसे तत्कालीन पटवारी द्वारा लेख कर दिया था.जो नामान्तरण पंजी क्रमांक-22 पर आदेश दिनांक11-9-1985को भूमिस्वामी घोषित कर दिया गया.जिसका अमल राजस्व अभिलेखों में सन 1987-88में किया जा चुका है.पटवारी द्वारा बिना किसी आदेश के एवं आवेदकगण को सूचना, एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना	अ

किसी अधिकार के राजस्व अभिलेखों में विक्रय सें प्रतिबन्धित अंकित कर दिया गया.आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नही किया है.अतः निगरानी स्वीकार किये जाने तथा उपरोक्त प्रविष्टि को विलोपित करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की.

4.अनावेदक- शासन के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय केआदेश को सही होना बताते हूए निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया.

5. उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का मनन एवं अवलोकन किया.अवलोकन करने से यह प्रमाणित है कि आवेदक के पिता स्व. रामलाल को शासकीय भूमि पर पटटा प्रदान किया गया था. तथा तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 11-09-1985 को पटटेदार को भूमिस्वामी घोषित किया गया था.जिसका अमल राजस्व अभिलेखों में किया जाना प्रमाणित है. प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने प्रकट होता है कि आयुक्त भू-अभिलेख केआ0दि01-2-2008 जिसके द्वारा ऐसे पटटे जो 1जनवरी 1999के बाद प्रदत्त किये गये है उन्हे राजस्व अभिलेखों में विक्रय से प्रतिबन्धित अंकित किया जाये.उक्त आदेश से ही प्रमाणित होता है कि उक्त आदेश मात्र उन्ही पटटो पर ही प्रभावशील है जो 1998 के बाद प्रदत्त हो. पटवारी द्वारा 1971-72 मे प्रदत्त पटटे की भूमि जिस पर 1985 में भूमिस्वामी अधिकार उदभूत हो चुके है.उसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के विक्रय सें प्रतिबन्धित अंकित किया जाना प्रमाणित है.तहसीलदार द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार किये बिना तथा बिना प्रकरण की परिस्थितियों को देखे आवेदकगण के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है.जो कि न्यायोचित प्रतित नही होता है. पटवारी द्वारा की गयी अवैध प्रविष्टि को मनमाने आधारों पर स्थिर नही रखा जा सकता है. तहसीलदार द्वारा जो आधार

निग0 प्रकरण क्रमांक 3288-एक /2016 जिला- छतरपुर

आवेदकगण के आवेदन पत्र को निरस्त करने हेतु दिये है वे विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है.

उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार मण्डल महेबा द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/अ-6अ/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2016 निरस्त किया जाता है तथा पटवारी द्वारा की गयी विक्रय से प्रतिबन्धित प्रविष्टि को विलोपित करने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेखों में संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है. आवेदकगण को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के कारण उसे भूमि के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है. उपरोक्त विवेचना के अनुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है.अभिलेख भेजा जाये. प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो.

सदस्य